

न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत

दिनांक 01.10.2018 से प्रभावशील
न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील
महँगाई भत्ते की दरें



कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़, रायपुर

खण्ड-तीन, द्वितीय तल, इंद्रावती भवन, अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

Website-www.cglabour.nic.in, E-Mail ID- cglc2012@gmail.com, ☎ No. 0771-2443513,14,15,16

क्रमांक / आठ / न्यूवे 0 / श्र 0 आ 0 / 2018 / 8003,

रायपुर, दिनांक -06.10.2018

अधिसूचना

छत्तीसगढ़ राज्य में प्रभावशील न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 2(घ) में निहित प्रावधान सह पठित श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक / 3761 / 613 / 16-ए / 82, दिनांक 25.05.1982 के अनुशरण में, मैं आर 0 शंगीता, श्रमायुक्त छत्तीसगढ़, रायपुर एतद् द्वारा कृषि नियोजन के लिये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जो कि भारत सरकार के लेबर ब्यूरो, शिमला से ज्ञात किया गया है जिसके अनुसार जनवरी 2018 से जून 2018 तक के माहों के लिये निम्नानुसार प्रकाशित करती हूँ :-

माह / वर्ष	अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1986-87 = 100)	माह / वर्ष	अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1986-87 = 100)
जुलाई 2017	884	जनवरी 2018	895
अगस्त 2017	894	फरवरी 2018	889
सितम्बर 2017	893	मार्च 2018	887
अक्टूबर 2017	901	अप्रैल 2018	888
नवम्बर 2017	905	मई 2018	891
दिसम्बर 2017	900	जून 2018	894
कुल	$\frac{5377}{6} = 896.17$ (896)	कुल	$\frac{5344}{6} = 890.67$ (891)

कृषि नियोजन में जनवरी 2018 से जून 2018 की अवधि में अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का वर्तमान में औसत 891 है जबकि पूर्व छःमाही में औसत 896 था। इस प्रकार वर्तमान सूचकांक में कोई वृद्धि नहीं हुई है। अतएव कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ अटल नगर, जिला-रायपुर का पत्र क्रमांक / आठ / न्यूवे 0 / श्र 0 आ 0 / 2018 / 2195, दिनांक 27.03.2018 द्वारा कृषि श्रमिकों के लिए परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की दरें यथावत् रहेंगी।


(आर 0 शंगीता)

श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़, रायपुर

खण्ड-तीन, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

Website-www.cglabour.nic.in, E-Mail ID- cglc2012@gmail.com, ☎ No. 0771-2443513,14,15,16

कृषि नियोजन (भाग-दो) में नियोजित श्रमिकों के लिये दिनांक
01.10.2018 से 31.03.2019 तक की अवधि हेतु परिवर्तनशील महंगाई भत्ते
की संगणना एवं पुनरीक्षित दरों के संबंध में विवरणात्मक टीप

छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-4/2016/16, दिनांक 29.03.2017 द्वारा कृषि नियोजन भाग-दो में नियोजित श्रमिकों के लिये न्यूनतम वेतन की दरें पुनरीक्षित की गई हैं, जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (1986-87=100) 852 (जनवरी-जून 2016) को आधार मानकर संबद्ध की गई हैं।

श्रमायुक्त कार्यालय, छत्तीसगढ़, रायपुर की अधिसूचना क्रमांक/आठ/न्यूवे0/श्र0आ0/2017/8003, दिनांक 06.10.2018 के अनुसार जनवरी 2018 से जून 2018 तक की अवधि में अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 891 रहा है, जिसके परिणामस्वरूप गत छःमाही के अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत (जुलाई 2017 से दिसम्बर 2017 तक) 896 के ऊपर कोई वृद्धि नहीं हुई है तथापि न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 की धारा 12(1-ए) के अनुपालन में कृषि नियोजन में परिवर्तनशील महंगाई भत्ता सहित देय वेतन (30 दिवस के मान से) पूर्व में दिनांक 01.04.2018 से जारी दरें यथावत् रखी जा रही हैं, जो कि दिनांक 01.10.2018 से 31.03.2019 तक देय हैं। (अनुसूची-“क”)



(आर0 शंगीता)

श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

अनुसूची-“क”

कृषि में नियोजन (भाग- “दो”)

(दिनांक 01.10.2018 से 31.03.2019 तक)

श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील महँगाई भत्ता		कुल वेतन	
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन (पूर्णांक)
1	2	3	4	5	6	7
अकुशल कृषि श्रमिक	6900.00	230.00	220.00	7.33	7120.00	237.33 (237)


(आर० शंगीता)

श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948.
छत्तीसगढ़, रायपुर

स्पष्टीकरण

1. मासिक मजदूरी पर नियुक्त किसी कर्मचारी का दैनिक वेतन 30 से भाग देकर संगणित किया जावेगा।
2. अधिसूचित न्यूनतम वेतन दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान मजदूरी की दरें न्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षित दर से अधिक हैं तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी।
3. इस अधिसूचना के अन्तर्गत वेतन दरें महिला एवं पुरुषों के लिए एक समान नियत है।
4. कृषि नियोजन के अतिरिक्त सभी नियोजनों के लिए लिये निर्धारित की गई न्यूनतम मजदूरी की दरों में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (क्रमांक 11 सन् 1948) की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन परिकल्पित किये अनुसार विश्राम दिवस के संबंध में पारिश्रमिक सम्मिलित है।


(आर० शंगीता)

श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़, रायपुर

खण्ड-तीन, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

Website-www.cglabour.nic.in, E-Mail ID- cgcl2012@gmail.com, ☎ No. 0771-2443513,14,15,16

क्रमांक/आठ/न्यूवे0/श्र0आ0/2018/8004,

रायपुर, दिनांक- 06 .10.2018

अधिसूचना

छत्तीसगढ़ राज्य में प्रभावशील न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 2(घ) में निहित प्रावधान सह पठित श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक/3761/613/16-ए/82, दिनांक 25.05.1982 के अनुशरण में, मैं आर0 शंगीता, श्रमायुक्त छत्तीसगढ़, रायपुर एतद् द्वारा अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जो कि भारत सरकार के लेबर ब्यूरो, शिमला से ज्ञात किया गया है जिसके अनुसार जनवरी 2018 से जून 2018 तक के माहों के लिये निम्नानुसार प्रकाशित करती हूँ :-

माह/वर्ष	अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2001 = 100)	माह/वर्ष	अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2001 = 100)
जुलाई 2017	285	जनवरी 2018	288
अगस्त 2017	285	फरवरी 2018	287
सितम्बर 2017	285	मार्च 2018	287
अक्टूबर 2017	287	अप्रैल 2018	288
नवम्बर 2017	288	मई 2018	289
दिसम्बर 2017	286	जून 2018	291
कुल	$\frac{1716}{6} = 286.00$	कुल	$\frac{1730}{6} = 288.33$ 288

इनका औसत 288 घोषित करती हूँ, जो कि परिशिष्टित अधिसूचित सामान्य नियोजन (भाग-एक) के श्रमिकों के लिये निर्वाह व्यय सूचकांक (कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर) रहेगा। श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ 10-4/2016/16, दिनांक 29.03.2017 एवं अधिसूचना क्रमांक एफ 10-4/2016/16, दिनांक 01.05.2017 में प्रकाशित परिशिष्टित अधिसूचित सामान्य नियोजनों (भाग-एक) परिशिष्ट "अ" के श्रमिकों को दिनांक 01.10.2018 से 31.03.2019 तक परिवर्तनशील महँगाई भत्ता देय है।


(आर0 शंगीता)

श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़, रायपुर

खण्ड-तीन, द्वितीय तल, इंद्रावती भवन, अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

Website-www.cglabour.nic.in, E-Mail ID- cg1c2012@gmail.com, ☎ No. 0771-2443513,14,15,16

अधिसूचित सामान्य नियोजन भाग-एक में नियोजित कर्मचारियों एवं श्रमिकों के लिए दिनांक 01.10.2018 से 31.03.2019 तक की अवधि हेतु परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की संगणना एवं पुनरीक्षित दरों के संबंध में

विवरणात्मक टीप

छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-4/2016/16, दिनांक 29.03.2017 एवं अधिसूचना क्रमांक एफ 10-4/2016/16, दिनांक 01.05.2017 द्वारा अधिसूचित सामान्य नियोजन भाग-एक में नियोजित श्रमिकों के लिये न्यूनतम वेतन की दरें पुनरीक्षित की गई हैं, जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 271 (जनवरी-जून 2016) 2001=100 को आधार मानकर संबद्ध की गई है।

कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर की अधिसूचना क्रमांक/आठ/न्यूवे0/श्र0आ0/2018/8004, दिनांक 06.10.2018 के अनुसार जनवरी 2018 से जून 2018 तक की अवधि में औद्योगिक श्रमिकों को अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 288 रहा है, जिसके कारण गत छ:माही के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 286.00 (2001=100 जनवरी 2017 से जून 2017 के आधार आँकड़े) के ऊपर 02 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। जनवरी 2018 से जून 2018 के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 288 है। अतएव (288-286) 02 औसत बिन्दु की वृद्धि हुई है। छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-4/2016/16, दिनांक 29.03.2017 एवं अधिसूचना क्रमांक एफ 10-4/2016/16, दिनांक 01.05.2017 के अनुसार अधिसूचित सामान्य नियोजन भाग-एक में नियोजित श्रमिकों को देय परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की गणना लेबर ब्यूरो द्वारा निर्मित औद्योगिक श्रमिकों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 271 (जनवरी-जून 2016) 2001=100 के आंकड़ों के उपर प्रति छ:माही में हुई औसत वृद्धि पर प्रतिबिन्दु प्रतिमाह 20 रुपये के मान से देय होगा। परिणामस्वरूप 20 रुपये प्रतिबिन्दु प्रतिमाह के मान से प्रतिमाह रुपये 40 या प्रतिदिन रुपये 1.54 (26 दिन के मान से) परिवर्तनशील महंगाई भत्ता दिनांक 01.10.2018 से 31.03.2019 तक देय है। (अनुसूची - "ख")

वित्त विभाग, के पत्र क्रमांक/303/आर/577/92/नि-5/4 दिनांक 30 जून, 1992 तथा छत्तीसगढ़ राज्य में प्रभावशील न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 2(घ) में निहित प्रावधान सहपठित, श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक/3761/613/16-ए/82, दिनांक 25.05.1982 के अनुशरण में, मैं आर0 शंगीता, श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़ रायपुर एतद् द्वारा शासकीय दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के लिये दैनिक वेतन की दरें सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ के लिये अनुसूची-"ग" के अनुसार निर्धारित करती हूँ जो दिनांक 01.10.2018 से 31.03.2019 तक देय है।


(आर0 शंगीता)

श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

परिशिष्ट- “अ”

अनुसूचित सामान्य नियोजन (भाग-“एक”)

क्र०	नियोजन का नाम
01	पावर प्लांट में नियोजन
02	स्टील प्लांट में नियोजन
03	स्पंज आयरन में नियोजन
04	रोलिंग मिल में नियोजन
05	कास्टिंग उद्योग इंडस्ट्रीज में नियोजन
06	सीमेंट फैक्ट्री
07	सुरक्षा गार्ड में नियोजन
08	भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्य में नियोजन
09	स्टोन क्रेशिंग में नियोजन
10	पत्थर पीसने एवं तोड़ने वाले नियोजन
11	ईंट भट्ठा में नियोजन
12	चूना भट्ठा में नियोजन
13	टाईल्स जिसमें मेंगलोर टाईल्स, इलाहाबाद टाईल्स तथा अन्य स्थानीय नाम से प्रचलित टाईल्स सम्मिलित हैं, परन्तु सीमेंट से निर्मित टाईल्स सम्मिलित नहीं है, के निर्माण में नियोजन
14	पाटरीज जिसमें रिफ्रेक्ट्रीज सामान, फायरब्रिक्स, सेनेटरी वेअर्स, इन्सूलेटर्स, टाईल्स (सीमेंट से निर्मित टाईल्स का छोड़कर) स्टोन वेअर्स पाईप्स, फरनेस, लाईनिंग, ब्रिक्स तथा अन्य सिरेमिक्स सामान सम्मिलित है, में नियोजन
15	सीमेंट पोल अथवा सीमेंट से निर्मित उत्पादन में नियोजन
16	मार्गों के निर्माण तथा अनुरक्षण या भवन एवं निर्माण कार्यों में नियोजन
17	इंजीनियरिंग उद्योग में नियोजन
18	सिंचाई कार्यों के निर्माण तथा संधारण में नियोजन
19	वन उपज एवं वन लगाने में नियोजन तथा नर्सरी
20	किसी स्थानीय प्राधिकरण में नियोजन
21	किसी दुकान, वाणिज्यिक संस्थान आवासीय होटल, रेस्टोरेंट तथा नाट्यगृह में नियोजन
22	शैक्षणिक संस्थान एवं निजी प्रशिक्षण केन्द्र में नियोजन

23	हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, पैथालॉजी में नियोजन
24	विक्रय सवर्धन कर्मकार (सेल्स प्रमोशन कर्मकार)
25	किसी मुद्रणालय में नियोजन
26	पेट्रोल पम्प/डीजल पम्प/गैस वितरण केन्द्र एवं गोडाउन में नियोजन
27	साल्वेट प्लांट तथा रिफाइनरी में नियोजन
28	किसी तेल मिल में नियोजन
29	केमिकल्स तथा फार्मास्युटिकल्स में नियोजन
30	हमाल, तौलैया, कुली रेजा एवं मण्डी श्रमिक
31	किसी चावल मिल आटा मिल या दाल मिल में नियोजन
32	किसी मुरा, पोहा निर्माणी में नियोजन
33	खाद्य पदार्थ जिसमें केक्स, बिस्किट्स, कन्फेक्शनरी, आईसक्रीम, आईसकेण्डी सम्मिलित है एवं पेयक निर्माण में नियोजन
34	खांडसारी उद्योग/चीनी मिल में नियोजन
35	किसी आरा मिल में नियोजन/बुड वर्क
36	प्लास्टिक उद्योग में नियोजन
37	फयूल कोक में नियोजन
38	पावरलूम जिसमें सायजिंग एवं प्रोसेसिंग भी सम्मिलित है, में नियोजन
39	कोसा उद्योग में नियोजन
40	हाथ करघा उद्योग में नियोजन
41	कंबल निर्माण कार्य में नियोजन
42	बोन मिल में नियोजन
43	लोक मोटर परिवहन में नियोजन
44	पोल्ट्री फार्म में नियोजन
45	किसी विनिर्माणी प्रक्रिया जिसमें विनिर्माण प्रक्रिया जो कि कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा-2 "के" परिभाषित की गई, चलाई जाती हैं, जो अनुसूची में दी गई किसी अन्य प्रविष्टि के अन्तर्गत नहीं आती हैं, में नियोजन

(भाग-दो)

01.	कृषि में नियोजन
-----	-----------------

1. अगरबत्ती उद्योग।
2. किसी तम्बाखू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजन

परिशिष्ट “ब” (स्पष्टीकरण)

1. इस अधिसूचना द्वारा जो मासिक वेतन निर्धारित किया गया है, वह कैलेण्डर मास की समाप्ति पर देय होगा। यदि किसी कर्मचारी ने अधिनियम एवं उसके अंतर्गत बनाये गये नियम के अनुसार संबंधित कैलेण्डर मास के समस्त अवकाश के दिनों का लाभ उठाया हो और यदि किसी सन्दर्भ में एक दिन का वेतन संगणित करना हो तो उपरोक्तानुसार निर्धारित मासिक वेतन को 26 से भाग देकर संगणित किया जाएगा।
2. कर्मचारियों के प्रकार जो विभिन्न वर्गीकरण में बताए गये हैं, वे उदाहरण स्वरूप हैं न कि विस्तृत तथा ऐसे वर्ग के कर्मचारी जो इस अधिसूचना में सम्मिलित नहीं हैं, के लिये न्यूनतम वेतन की दर वही होगी जो समान प्रकृति का काम करने वाले कर्मचारी को देय है।
3. अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल तथा उच्च कुशल कर्मचारी की सामान्य परिभाषा निम्नानुसार है :—

“अकुशल कर्मचारी” वह है, जो ऐसे सरल कार्य करता है जिसमें स्वतंत्र निर्णय या पूर्व अनुभव की बहुत कम या बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ती। यद्यपि व्यावसायिक परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है। इस प्रकार शारीरिक श्रम के अलावा उसे विभिन्न वस्तुओं तथा माल व सेवाओं से परिचित होना अपेक्षित है।

“अर्द्धकुशल कर्मचारी” वह है, जो सामान्यतः रोजमर्रा का एक निश्चित स्वरूप का कार्य करता हो, जिसमें कि उसके अधिक निर्णय, बुद्धि, कुशलता तथा निपुणता की अपेक्षा न की जाती हो किन्तु उसमें सापेक्षित रूप से ऐसे छोटे काम जो उसे सौंपे जाए, उचित रूप से करने की अपेक्षा की जाती हो और उसमें महत्वपूर्ण निर्णय दूसरे व्यक्तियों द्वारा लिये जाते हों, इस प्रकार उसका कार्य रोजमर्रा के एक जैसे समान कार्य करने तक ही सीमित है।

“कुशल कर्मचारी” वह है, जो दक्षतापूर्वक कार्य कर सके, काफी स्वतंत्रता से निर्णय, बुद्धि का प्रयोग कर सके तथा जिम्मेदारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन कर सके। उसे उस व्यवसाय, शिल्प या उद्योग का जिसमें वह नियोजित किया गया हो, पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान होना अपेक्षित है।

“उच्च कुशल कर्मचारी” वह है, जो तकनीकी एवं विशिष्ट स्वरूप का कार्य करने में पूर्ण रूप से दक्ष हो। काफी स्वतंत्रता से निर्णय, बुद्धि का प्रयोग कर जिम्मेदारी से अपने कर्तव्यों का पालन कर सके एवं तकनीकी डिग्री या डिप्लोमा धारी हो। उसे उस व्यवसाय, तकनीकी शिल्प या उद्योग का जिसमें वह नियोजित किया गया हो, पूर्ण एवं विशिष्ट ज्ञान होना अपेक्षित है।

4. उक्त अधिसूचित न्यूनतम वेतन दरों का प्रवर्तन किसी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि प्रचलित वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक हैं, तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जायेगी।
5. किसी भी स्थापना या उपक्रम में प्रचलित वेतन दरें अधिसूचित मूल न्यूनतम वेतन दरों तथा देय परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते के योग से अधिक होने पर यह समझा जावेगा कि स्थापना या उपक्रम द्वारा अधिसूचित मूल न्यूनतम वेतन दर तथा परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते दिये जाने का पालन किया जा रहा है, यदि स्थापना या उपक्रम द्वारा देय न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते का योग अधिसूचित न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते के योग से कम है, तो श्रमिक अंतर की राशि के लिये पात्र होंगे।
6. उक्त अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी दरों में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (क्रमांक 11 सन् 1948) की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन परिकल्पित किये अनुसार विश्राम दिवस के संबंध में पारिश्रमिक सम्मिलित है।
7. जहां कर्मचारी खण्डदर पर नियोजित हो वहां खण्डदर इस प्रकार निर्मित की जावे, जो आठ घंटे दैनिक एवं छह दिन कार्य करने तथा एक दिन सवैतनिक अवकाश देने पर निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम न हो।
8. मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रुपये के गुणांकों को पूर्णांक करके दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जाएगी। पचास पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित किया जावेगा और पचास पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा।
9. यदि एक से अधिक नियोजनों में एक ही स्वरूप का कार्य होता है तो कार्यरत कर्मचारियों को बेहतर दरें देय होंगी। कर्मचारियों के प्रकार जो विभिन्न वर्गीकरण में बताये गये हैं वे उदाहरण स्वरूप हैं न की विस्तृत तथा ऐसे वर्ग के कर्मचारी जो इस अधिसूचना में सम्मिलित नहीं हैं के लिये न्यूनतम वेतन की दरें वही होगी जो समान प्रकृति का काम करने वाले कर्मचारी को देय है। श्रमिकों एवं कर्मचारियों के श्रेणी/वर्ग का वर्गीकरण छत्तीसगढ़ शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-4/2016/16, दिनांक 29.03.2017 में दर्शित है।


(आर० शंगीता)

श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

जोन का विवरण

जोन "अ" –

- नगर पालिक निगम रायपुर, दुर्ग, भिलाई, भिलाई-चरोदा एवं बीरगांव सीमा के भीतर एवं नगर पालिक निगम सीमा से 16 कि.मी. तक का क्षेत्र।
- राज्य के समस्त औद्योगिक क्षेत्र एवं औद्योगिक विकास केन्द्र।
- अटल नगर, जिला-रायपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र।
- प्रदेश में स्थित ऐसे समस्त कारखानें जिनके द्वारा कारखाना अधिनियम, 1948 के तहत 300 या उससे अधिक श्रमिकों के लिए अनुज्ञप्ति ली गयी है।

जोन "ब" –

- नगर पालिक निगम राजनांदगांव, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, अंबिकापुर, जगदलपुर, चिरमिरी एवं धमतरी नगर पालिक निगम सीमा के भीतर एवं नगर निगम सीमा से 8 कि.मी. तक का क्षेत्र।

जोन "स" –

- जोन "अ" एवं "ब" में सम्मिलित क्षेत्र को छोड़कर।


(आर० शंगीता)

श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

अनुसूची-“ख”
अनुसूचित नियोजन भाग-एक के 45 नियोजन

(दिनांक 01.04.2018 से 30.09.2018 तक)

(दिनांक 01.10.2018 से 31.03.2019 तक)

क्र.	श्रमिकों का वर्ग	जोन का नाम	न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन रुपये में		जोन का नाम	न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन रुपये में	
			प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन		प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन
1	अकुशल -	अ	8320.00	320.00	300.00	11.54	8620.00	331.54 (332)	अ	8320.00	320.00	340.00	13.08	8660.00	333.08 (333)
		ब	8060.00	310.00	300.00	11.54	8360.00	321.54 (322)	ब	8060.00	310.00	340.00	13.08	8400.00	323.08 (323)
		स	7800.00	300.00	300.00	11.54	8100.00	311.54 (312)	स	7800.00	300.00	340.00	13.08	8140.00	313.08 (313)
2	अर्द्धकुशल -	अ	8970.00	345.00	300.00	11.54	9270.00	356.54 (357)	अ	8970.00	345.00	340.00	13.08	9310.00	358.08 (358)
		ब	8710.00	335.00	300.00	11.54	9010.00	346.54 (347)	ब	8710.00	335.00	340.00	13.08	9050.00	348.08 (348)
		स	8450.00	325.00	300.00	11.54	8750.00	336.54 (337)	स	8450.00	325.00	340.00	13.08	8790.00	338.08 (338)
3	कुशल -	अ	9750.00	375.00	300.00	11.54	10050.00	386.54 (387)	अ	9750.00	375.00	340.00	13.08	10090.00	388.08 (388)
		ब	9490.00	365.00	300.00	11.54	9790.00	376.54 (377)	ब	9490.00	365.00	340.00	13.08	9830.00	378.08 (378)
		स	9230.00	355.00	300.00	11.54	9530.00	366.54 (367)	स	9230.00	355.00	340.00	13.08	9570.00	368.08 (368)
4	उच्च कुशल -	अ	10530.00	405.00	300.00	11.54	10830.00	416.54 (417)	अ	10530.00	405.00	340.00	13.08	10870.00	418.08 (418)
		ब	10270.00	395.00	300.00	11.54	10570.00	406.54 (407)	ब	10270.00	395.00	340.00	13.08	10610.00	408.08 (408)
		स	10010.00	385.00	300.00	11.54	10310.00	396.54 (397)	स	10010.00	385.00	340.00	13.08	10350.00	398.08 (398)

टीप : न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत 45 अनुसूचित नियोजनों की सूची परिशिष्ट-“अ” तथा इस संबंध में स्पष्टीकरण परिशिष्ट-“ब” में देखें।


(आरो शंगीता)

श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

अनुसूची-“ग”

विभिन्न शासकीय विभागों में कार्यरत् दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के मासिक एवं दैनिक न्यूनतम वेतन तथा परिवर्तनशील महँगाई भत्ता।
(दिनांक 01.04.2018 से 30.09.2018 तक) (दिनांक 01.10.2018 से 31.03.2019 तक)

क्र.	श्रमिकों का वर्ग	जोन का नाम	न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील महँगाई भत्ता		कुल वेतन रुपये में		जोन का नाम	न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील महँगाई भत्ता		कुल वेतन रुपये में	
			प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन		प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन
1	अकुशल -	अ	8320.00	277.33	300.00	10.00	8620.00	287.33 (287)	अ	8320.00	277.33	340.00	11.33	8660.00	288.67 (289)
		ब	8060.00	268.67	300.00	10.00	8360.00	278.67 (279)	ब	8060.00	268.67	340.00	11.33	8400.00	280.00 (280)
		स	7800.00	260.00	300.00	10.00	8100.00	270.00 (270)	स	7800.00	260.00	340.00	11.33	8140.00	271.33 (271)
2	अर्द्धकुशल -	अ	8970.00	299.00	300.00	10.00	9270.00	309.00 (309)	अ	8970.00	299.00	340.00	11.33	9310.00	310.33 (310)
		ब	8710.00	290.33	300.00	10.00	9010.00	300.33 (300)	ब	8710.00	290.33	340.00	11.33	9050.00	301.67 (302)
		स	8450.00	281.67	300.00	10.00	8750.00	291.67 (292)	स	8450.00	281.67	340.00	11.33	8790.00	293.00 (293)
3	कुशल -	अ	9750.00	325.00	300.00	10.00	10050.00	335.00 (335)	अ	9750.00	325.00	340.00	11.33	10090.00	336.33 (336)
		ब	9490.00	316.33	300.00	10.00	9790.00	326.33 (326)	ब	9490.00	316.33	340.00	11.33	9830.00	327.67 (328)
		स	9230.00	307.67	300.00	10.00	9530.00	317.67 (318)	स	9230.00	307.67	340.00	11.33	9570.00	319.00 (319)
4	उच्च कुशल -	अ	10530.00	351.00	300.00	10.00	10830.00	361.00 (361)	अ	10530.00	351.00	340.00	11.33	10870.00	362.33 (362)
		ब	10270.00	342.33	300.00	10.00	10570.00	352.33 (352)	ब	10270.00	342.33	340.00	11.33	10610.00	353.67 (354)
		स	10010.00	333.67	300.00	10.00	10310.00	343.67 (344)	स	10010.00	333.67	340.00	11.33	10350.00	345.00 (345)

टीप : इस संबंध में स्पष्टीकरण परिशिष्ट-“ब” में देखें।


(आरो शंगीता)

श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़, रायपुर

खण्ड-तीन, द्वितीय तल, इंद्रावती भवन, अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

Website-www.cglabour.nic.in, E-Mail ID- cglc2012@gmail.com, ☎ No. 0771-2443513,14,15,16

क्रमांक/आठ/न्यूवे0/श्र0आ0/2018/8005,

रायपुर, दिनांक – 06.10.2018

// अधिसूचना //

अगरबत्ती उद्योग

न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 4(2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी के अधिकार श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़, रायपुर को श्रम विभाग, की अधिसूचना क्रमांक/3761/613/16-ए/82, दिनांक 25.05.1982 के द्वारा प्रत्यायोजित किये जाने से उक्त प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जो कि भारत शासन के लेबर ब्यूरो, शिमला से ज्ञात कर, मैं आर0 शंगीता श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ रायपुर, विगत जनवरी 2018 से जून 2018 तक के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत निम्नानुसार घोषित करती हूँ :-

माह/वर्ष	अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1986-87 = 100)	माह/वर्ष	अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1986-87 = 100)
जुलाई 2017	1320	जनवरी 2018	1333
अगस्त 2017	1320	फरवरी 2018	1329
सितम्बर 2017	1320	मार्च 2018	1329
अक्टूबर 2017	1329	अप्रैल 2018	1333
नवम्बर 2017	1333	मई 2018	1338
दिसम्बर 2017	1324	जून 2018	1347
कुल	$\frac{7946}{6} = 1324.33$ (1324)	कुल	$\frac{8010}{6} = 1334.98$ (1335)

अतः विगत छः माहों का औसत 1335 घोषित करती हूँ, जो कि अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों के लिये निर्वाह व्यय सूचकांक (कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर) रहेगा। इस आधार पर श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ-10-4/2016/16 दिनांक 06.10.2018 के द्वारा पुनरीक्षित न्यूनतम वेतन एवं तदानुसार निर्दिष्ट परिवर्तनशील महँगाई भत्ता अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों को दिनांक 01.10.2018 से 31.03.2019 तक देय है।


(आर0 शंगीता)

श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

परिवर्तनशील महँगाई भत्ते की संगणना एवं पुनरीक्षित दरों के संबंध में विवरणात्मक टीप

अगरबत्ती उद्योग

श्रमायुक्त कार्यालय, छत्तीसगढ़, रायपुर का अधिसूचना क्रमांक/आठ/न्यू0वे0/श्र0आ0/2018/8005, दिनांक 06.10.2018 के अनुसार जनवरी 2018 से जून 2018 तक की अवधि में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 1335 रहा है। इस प्रकार अगरबत्ती उद्योग में न्यूनतम वेतन पुनरीक्षण के संबंध में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 1285 (2001=100) के आधार आँकड़ों के ऊपर जनवरी 2018 से जून 2018 तक की अवधि 50 औसत बिन्दुओं (1335-1285=50 पाईट) की वृद्धि हुई है। उक्त के परिणामस्वरूप अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों के लिये परिवर्तनशील महँगाई भत्ता 1.25 पैसे (सवा पैसे) प्रति बिन्दु प्रति एक हजार अगरबत्ती बनाने के लिये 0.63 रुपये परिवर्तनशील महँगाई भत्ता दिनांक 01.10.2018 से 31.03.2019 तक देय है।

छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-4/2016/16 दिनांक 06.10.2018 के अन्तर्गत अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों की न्यूनतम वेतन दरों को अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबद्ध किया गया है। अतः अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों को अनुसूची "ई" अनुसार परिवर्तनशील महँगाई भत्ता दिनांक 01.10.2018 से 31.03.2019 तक देय है।


(आर0 शंगीता)

श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

अनुसूची – “ई”

क्र.	कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित मूल वेतन दरें			न्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षित महँगाई भत्ते की दरें		कुल वेतन
अ.	अगरबत्ती रोलर्स (1000 अगरबत्ती रोल करने पर)	रु0	26.96	पैसे	(रु. 0.63) 5 पैसा प्रति 4 हजार (1.25 पैसे प्रति बिन्दु)		27.59
	साधारण सुगंधित (सेंटेड)	रु0	27.66	पैसे	(रु. 0.63) 5 पैसा प्रति 4 हजार (1.25 पैसे प्रति बिन्दु)		28.29
आ. निम्न वजन के अनुसार अगरबत्ती गिनना, बटर पेपर की झिल्ली लपेटना, खाली पैकेट में भरना, पैकेट के दोनो ओर चिट लगाकर पैकेट बंद करना।							
बिना सिलोफेन या जिलेटिन के							
1.	10 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	रु0	22.05	पैसे	(रु. 0.50) 5 पैसा प्रति बिन्दु 500 (1 पैसा प्रति बिन्दु)		22.55
2.	20 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	रु0	22.76	पैसे	(रु. 0.50) 5 पैसा प्रति बिन्दु 500 (1 पैसा प्रति बिन्दु)		23.26
3.	30 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	रु0	22.76	पैसे	(रु. 0.50) 5 पैसा प्रति बिन्दु 500 (1 पैसा प्रति बिन्दु)		23.26
4.	40 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	रु0	28.89	पैसे	(रु. 0.63) 5 पैसा प्रति बिन्दु 400(1.25 पैसा प्रति बिन्दु)		29.52
5.	70 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	रु0	38.79	पैसे	(रु. 0.84) 5 पैसा प्रति बिन्दु 300(1.67 पैसा प्रति बिन्दु)		39.63
6.	80 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	रु0	44.57	पैसे	(रु. 1.00) 5 पैसा प्रति बिन्दु 250 (2 पैसा प्रति बिन्दु)		45.57
7.	100 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	रु0	45.87	पैसे	(रु. 1.00) 5 पैसा प्रति बिन्दु 250 (2 पैसा प्रति बिन्दु)		46.87
8.	200 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	रु0	56.41	पैसे	(रु. 1.25) 5 पैसा प्रति बिन्दु 200(2.50 पैसा प्रति बिन्दु)		57.66
सिलोफेन या जिलेटिन के							
1.	10 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	रु0	22.76	पैसे	(रु. 0.50) 5 पैसा प्रति बिन्दु 500 (1 पैसा प्रति बिन्दु)		23.26
2.	20 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	रु0	28.37	पैसे	(रु. 0.63) 5 पैसा प्रति बिन्दु 400(1.25 पैसा प्रति बिन्दु)		29.00
3.	30 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	रु0	36.30	पैसे	(रु. 0.84) 5 पैसा प्रति बिन्दु 300(1.67 पैसा प्रति बिन्दु)		37.14
4.	40 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	रु0	37.05	पैसे	(रु. 0.84) 5 पैसा प्रति बिन्दु 300(1.67 पैसा प्रति बिन्दु)		37.89

क्र.	कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित मूल वेतन दरें	न्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षित महँगाई भत्ते की दरें	कुल वेतन
5.	70 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	रु0 39.15	पैसे (रु. 0.84) 5 पैसा प्रति बिन्दु 300(1.67 पैसा प्रति बिन्दु)	39.99
6.	80 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	रु0 45.87	पैसे (रु. 1.00) 5 पैसा प्रति बिन्दु 250 (2 पैसा प्रति बिन्दु)	46.87
7.	100 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	रु0 54.99	पैसे (रु. 1.25) 5 पैसा प्रति बिन्दु 200(2.50 पैसा प्रति बिन्दु)	56.24
8.	200 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	रु0 57.81	पैसे (रु. 1.25) 5 पैसा प्रति बिन्दु 200(2.50 पैसा प्रति बिन्दु)	59.06

(इ) निम्नानुसार पुंगली बनाकर पैक करना निम्न संख्या में अगरबत्तियों को गिनकर झिल्ली लपेटना, पुंगलियों में भरकर, लेबल या सिलोफेन या जिलेटिन ब्राउन पेपर लगाकर बंद कर चिट लगाना।

बिना सिलोफेन या जिलेटिन के

1.	10 अगरबत्ती के लिये प्रति सैकड़ा	रु0 18.29	पैसे (रु. 0.42) 5 पैसा प्रतिबिन्दु 600(0.0083 पैसा प्रतिबिन्दु)	18.71
2.	12 अगरबत्ती के लिये प्रति सैकड़ा	रु0 18.96	पैसे (रु. 0.42) 5 पैसा प्रतिबिन्दु 600(0.0083 पैसा प्रतिबिन्दु)	19.38
3.	23 अगरबत्ती के लिये प्रति सैकड़ा	रु0 22.73	पैसे (रु. 0.50) 5 पैसा प्रति बिन्दु 500 (1 पैसा प्रति बिन्दु)	23.23
4.	50 अगरबत्ती के लिये प्रति सैकड़ा	रु0 23.46	पैसे (रु. 0.50) 5 पैसा प्रति बिन्दु 500 (1 पैसा प्रति बिन्दु)	23.96
5.	100 अगरबत्ती के लिये प्रति सैकड़ा	रु0 28.37	पैसे (रु. 0.63) 5 पैसा प्रति बिन्दु 400(1.25 पैसा प्रति बिन्दु)	29.00
6.	200 अगरबत्ती के लिये प्रति सैकड़ा	रु0 30.11	पैसे (रु. 0.63) 5 पैसा प्रति बिन्दु 600(1.25 पैसा प्रति बिन्दु)	30.74

(ई) **सारे लिफाफे में अगरबत्ती रखकर बंद करना :-**

1.	5 अगरबत्ती के लिये प्रति सैकड़ा	रु0 4.22	पैसे (रु. 0.10) 5 पैसा प्रतिबिन्दु 2500(0.0020 पैसा प्रतिबिन्दु)	4.32
2.	10 अगरबत्ती के लिये प्रति सैकड़ा	रु0 4.80	पैसे (रु. 0.11) 5 पैसा प्रतिबिन्दु 2200(0.0022 पैसा प्रतिबिन्दु)	4.91
3.	पुंगली बनाने के कागज प्रति 1000	रु0 7.32	पैसे (रु. 0.17) 5 पैसा प्रतिबिन्दु 1500(0.0033 पैसा प्रतिबिन्दु)	7.49

अगरबत्ती उद्योग से संबद्ध कर्मचारी जैसे पेटी बनाने वाला, मिस्त्री, ड्राईवर, पेटी भरने वाला, मसाला तोलने वाला, एकाउंट केशियर, गोडाउन कीपर, टाईपिस्ट, क्लर्क, भृत्य आदि की दैनिक या मासिक मजदूरी न्यूनतम वेतन अधिनियम के अधीन, कुशल, अर्द्धकुशल एवं अकुशल प्रवर्ग की मजदूरी की दरें 45 अधिसूचित सामान्य नियोजनों के लिए शासन द्वारा घोषित दरें ही प्रभावशील होंगी।



(आर० शंगीता)

श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

स्पष्टीकरण

1. अनुसूची के कॉलम 2 में उपदर्शित न्यूनतम मजदूरी के अतिरिक्त परिवर्तनशील महँगाई भत्ता (व्ही0डी0ए0) जनवरी 2018 से जून 2018 में औसत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (जिसे इसमें इसके पश्चात् सूचकांक कहा जायेगा) 1285 (2001=100) से अधिक पर इस अधिसूचना के कॉलम 3 में उपदर्शित प्रत्येक काम के लिये प्रति बिन्दु सम्मुख अंकित किये गए अनुसार दर से तथा मासिक दर पर कार्यरत् कर्मचारियों के लिये रुपये 1.25 पैसे प्रति बिन्दु प्रतिमाह की दर से संदेय होगा। जिसकी गणना प्रत्येक छः माह जनवरी से जून तथा जुलाई से दिसम्बर जैसी भी स्थिति हो, के औसत सूचकांक के आधार पर की जावेगी और क्रमशः 1 अप्रैल तथा 1 अक्टूबर से देय होगी। इस प्रकार से संगणित परिवर्तनशील महँगाई भत्ता न्यूनतम वेतन का भाग होगा। उक्त औसत सूचकांक न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा छत्तीसगढ़ राजपत्र में घोषित किया जावेगा।
2. अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान मजदूरी की दरें न्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षित दरों से अधिक है तो वह किसी भी परिस्थिति में कम नहीं की जावेगी। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन परिकल्पित किये गये अनुसार विश्राम दिवस के संबंध में पुनरीक्षित दरों में पारिश्रमिक सम्मिलित है।
3. निर्धारित मासिक मजदूरी कैलेंडर माह की समाप्ति पर देय होगी, जहाँ मजदूरी की मासिक दर नियत की गई है, वहाँ यदि एक दिन की मजदूरी संगणित की जानी हो तो, मासिक मजदूरी को 26 से भाग देकर अभिप्राप्त की जावेगी, जिसमें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की धारा 13 में बताये गए अनुसार विश्राम दिवस का पारिश्रमिक भी सम्मिलित होगा।


(आर0 शंगीता)

श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़, रायपुर

खण्ड-तीन, द्वितीय तल, इंद्रावती भवन, अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

Website-www.cglabour.gov.in, E-Mail ID- com-labour.cg@gov.in, ☎ No. 0771-2443513,14,15,16

क्रमांक/आठ/न्यूवे0/श्र0आ0/2017/8006,

रायपुर, दिनांक 06.10.2018

अधिसूचना

छत्तीसगढ़ राज्य में प्रभावशील न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 4(2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक/3761/613/16-ए/82, दिनांक 25.05.1982 के अनुशरण में, मैं अविनाश चम्पावत श्रमायुक्त छत्तीसगढ़, रायपुर एतद् द्वारा अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जो कि भारत सरकार के लेबर ब्यूरो, शिमला से ज्ञात किया गया है जिसके अनुसार जुलाई 2017 से जून 2018 तक के माहों के लिये निम्नानुसार प्रकाशित करता हूँ :-

माह/वर्ष	अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1960 = 100)
जुलाई 2017	6505
अगस्त 2017	6505
सितम्बर 2017	6505
अक्टूबर 2017	6551
नवम्बर 2017	6574
दिसम्बर 2017	6528
जनवरी 2018	6574
फरवरी 2018	6551
मार्च 2018	6551
अप्रैल 2018	6574
मई 2018	6597
जून 2018	6642
कुल	$\frac{78658}{12} = 6554.84$ $= 6555$

उपरोक्तानुसार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 6555 घोषित करता हूँ जो कि किसी तंबाखू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजित श्रमिकों के लिए वार्षिक निर्वाह व्यय सूचकांक (एनवल एवरेज कास्ट लिव्हिंग इन्डेक्स नम्बर) रहेगा। इस आधार पर श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-4/2016/16 दिनांक 06.10.2018 के द्वारा पुनरीक्षित न्यूनतम वेतन एवं तदनुसार निर्दिष्ट परिवर्तनशील महँगाई भत्ता बीड़ी श्रमिकों को दिनांक 01.10.2018 से 30.09.2019 तक देय रहेगा।



(आर० शंगीता)

श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

परिवर्तनशील महँगाई भत्ते की संगणना एवं पुनरीक्षित दरों के संबंध में विवरणात्मक टीप

श्रमायुक्त कार्यालय, छत्तीसगढ़ रायपुर की अधिसूचना क्रमांक/आठ/न्यूवे0/श्र0आ0/2018/8006, दिनांक 06.10.2018 के अनुसार जुलाई 2017 से जून 2018 तक की अवधि में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 6555 रहा है। इस प्रकार किसी तंबाखू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में न्यूनतम वेतन पुनरीक्षण के संबंध में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 6321 (1960=100) के आधार आंकड़ों के ऊपर जुलाई 2017 से जून 2018 तक की अवधि में 6555 (6555-6321=234 पाईट) औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। उक्त के परिणामस्वरूप किसी तंबाखू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजन के लिये परिवर्तनशील महँगाई भत्ता 1 पैसे प्रति बिन्दु प्रति हजार बीड़ी के मान से 2.34 रुपये परिवर्तनशील महँगाई भत्ता दिनांक 01.10.2018 से 30.09.2019 तक देय है। (अनुसूची "फ")

छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-4/2016/16 दिनांक 06.10.2018 के अंतर्गत किसी तंबाखू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजन में दरों को अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबंधित किया गया है, जो दिनांक 01.10.2018 से 30.09.2019 तक देय है।



(आर0 शंगीता)

श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

अनुसूची "फ"

तम्बाखू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्मिलित है) विनिर्माण में नियोजन

क्र.	कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित मूल वेतन दरें	परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की दरें	कुल वेतन
1	2	3	4	5
1.	बीड़ी रोलर (1000 बीड़ी बनाने के लिए)	रु0 96.24	2.34	रु0 98.58 प्रति हजार किंतु यदि श्रमिक का किसी सप्ताह में प्राप्त होने वाले वेतन का योग रुपये 552.00 से कम हो तो उसे इस अधिसूचना की परिशिष्ट में बताई गई शर्तों के अनुसार कम से कम रुपये 552.00 का भुगतान उस सप्ताह में किया जावेगा।
2.	रेलाई श्रमिक			
अ	बीड़ी के कट्टों पर झिल्ली लगाना			
1	लेबल चिपकाने तथा पुड़ों को बनाने या चिपकाने कट्टों पर संबंधी कार्य	रु0 53.18 प्रति 1000	(रु. 1.17) एक पैसे प्रति बिन्दु प्रति दो हजार	54.35
2	यदि कट्टे पर दोनों ओर लेबल लगाया जाता है।	रु0 56.35 प्रति 1000 कट्टों पर	(रु. 1.17) एक पैसे प्रति बिन्दु प्रति दो हजार	57.52
ब.	झिल्ली एवं लेबल लगाने संबंधी कार्य			
1.	झिल्ली लेबल लगाना	रु0 48.06 प्रति 1000 कट्टों पर	(रु. 1.17) 1 पैसे प्रति बिन्दु प्रति दो हजार	49.23
2.	झिल्ली लगाना	रु0 35.20 प्रति 1000 कट्टों पर	(रु. 0.88) 1.5 पैसे प्रति बिन्दु प्रति चार हजार	36.08
3.	लेबल लगाना	रु0 13.10 प्रति 1000 कट्टों पर	(रु. 0.29) 1 पैसे प्रति बिन्दु प्रति आठ हजार	13.39
4.	पुड़ा बनाना या चिपकाना	रु0 13.44 प्रति 1000 कट्टों पर	(रु. 0.29) 1 पैसे प्रति बिन्दु प्रति आठ हजार	13.73
स.	एक हजार कट्टों पर जबकि 25 बीड़ियों का कट्टा हो			
1.	आड़ी तथा खड़ी पट्टी लगाने का कार्य हो	रु0 198.88 पैसे प्रति एक लाख बीड़ी पर	(रु. 4.68) 2 पैसे प्रति बिन्दु प्रति लाख बीड़ी पर	203.56
2.	झिल्ली आड़ी तथा खड़ी पट्टी लगाने का कार्य हो	रु0 216.02 पैसे प्रति एक लाख बीड़ी पर	(रु. 4.68) 2 पैसे प्रति बिन्दु प्रति लाख बीड़ी पर	220.70
3.	झिल्ली तथा नक्शी झिल्ली लगाने का कार्य हो	रु0 216.02 पैसे प्रति एक लाख बीड़ी पर	(रु. 4.68) 2 पैसे प्रति बिन्दु प्रति लाख बीड़ी पर	220.70

नोट :-

बीड़ी निर्माण के संबंध में दैनिक या मासिक दर से वेतन पाने वाले कर्मचारियों जैसे, बीड़ी छोटने तथा जाँच करने वाले, तंबाखू मिश्रण तथा छानने का कार्य करने वाला, भट्टी वाला, रसोईया, ड्राइवर (भारी वाहन), हल्का वाहन, एकाऊंटेंट, मुनीम, कैशियर, गोडाउन कीपर, स्टोर कीपर, टाईपिस्ट, बिलमेन, क्लर्क, भृत्य, चौकीदार के वेतन न्यूनतम वेतन अधिनियम के अंतर्गत समय-समय पर निर्धारित कुशल, अर्धकुशल और अकुशल श्रेणी के श्रमिकों के वेतन के अनुसार नियमित होंगे।

इस प्रयोजन के लिए उपर्युक्त कर्मचारों का वर्गीकरण निम्नानुसार किया जावेगा।

1. उच्च कुशल – ड्राइवर (चालक) (भारी वाहन) एकाऊंटेंट, डाटा एन्ट्री आपरेटर (कम्प्यूटर आपरेटर), मुनीम, कैशियर, हेड क्लर्क।
2. कुशल – स्टोर कीपर, ड्राइवर (हल्का वाहन), टाईपिस्ट, गोडाउन कीपर, क्लर्क, बिलमेन।
3. अर्ध कुशल – बीड़ी छोटने या जाँच करने वाले, भट्टी वाला।
4. अकुशल – ट्रक से माल चढ़ाने व उतारने वाले या बीड़ीयों के पुड़ों के कार्य में लगा श्रमिक, भृत्य, श्रमिक।

बीड़ी निर्माण के संबंध में दैनिक या मासिक दर से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम वेतन की दरें 45 अधिसूचित सामान्य नियोजनों के लिए शासन द्वारा घोषित दरें ही प्रभावशील होंगी।



(आर० शंगीता)

श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

EFFECTIVE WAGES OF BEEDI ROLLERS

Beedi Rolles (For Rolling of 1000 Beedies)

Effective from 01.10.2018 To 30.09.2019

V.D.A. Revisable Annually with Effect from 01.10.2018

No.	Perticular	Rs./P
1	Basic Wages	96.24
2	Variable Dearness Allowance	2.34
3	Leave With Salary (@ 5% of Total Wages)	4.93
4	Tatal Wages	103.51
5	Bonus (@8.33% of Total Wages	8.62
6	P.F. Contribution of Employer @ 10% of Total Wages	10.35
7	Total	122.48
8	Less P.F.Contribution of Employer (@10% of Total Wages)	10.35
9	Less P.F. Contribution of Employee (@10% of Total Wages)	10.35
10	Net Payable to Beedi Roller (7-(8+9)	101.78


(आर० शंगीता)

श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

स्पष्टीकरण

1. अधिसूचित न्यूनतम वेतन दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक है तो वो किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी, न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ब) के अधीन परिकल्पित किये अनुसार विश्राम दिवस के संबंध में परिश्रमिक इन वेतन दरों में सम्मिलित हैं।
2. परिवर्तनशील महँगाई भत्ता उपरोक्त अनुसूची के स्तम्भ 4 में लेबर ब्यूरो, शिमला द्वारा निर्मित औद्योगिक श्रमिकों के लिये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, 6321 (1960=100) पर आधारित है। 6321 सूचकांक के ऊपर प्रति एक वर्ष में जो औसत वृद्धि होगी, उसी अनुपात में अनुसूची के स्तम्भ क्रमांक 4 में वृद्धि दिनांक 1 अक्टूबर से की जावेगी और स्तम्भ 4 में परिवर्तनशील महँगाई भत्ते में हुई यह वृद्धि परिवर्तनशील महँगाई भत्ता मानी जावेगी। 1 अक्टूबर से देय परिवर्तनशील महँगाई भत्ते की वृद्धि की गणना गत जुलाई से जून तक के एक वर्ष के औसत सूचकांक के आधार पर की जावेगी जिसकी घोषणा अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा राजपत्र में समय-समय पर प्रकाशित की जावेगी।
3. निर्धारित मासिक वेतन कैलेण्डर माह की समाप्ति पर देय होगा, एक दिन का वेतन संगणित करना हो तो मासिक वेतन को 26 से भाग देकर संगणित किया जाएगा।
4. जहां नियोजन प्रति सप्ताह 5600 बीड़ी बनाने के लिये लगने वाला कच्चा माल तंबाखू, तेंदूपत्ता, धागा पर्याप्त मात्रा में नहीं दे पाता तब कर्मचारी कम से कम 5600 बीड़ी के लिए देय वेतन तथा विशेष महँगाई भत्ता प्रति सप्ताह जिसे आगे गारन्टेड वेज कहा जाएगा, प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
5. गारंटी वेज में कर्मचारी द्वारा किसी भी दिन उसके नियोजक द्वारा दिये गए कच्चे माल की मात्रा में वास्तव में बनाई बीड़ी का जो वेतन अर्जित करेगा, वह भी सम्मिलित होगा।
6. यदि कर्मचारी अन्य इच्छा से किसी भी कारणवश किसी दिन गारन्टेड वेज प्राप्त करने की मात्रा से भी कम वेतन अर्जित करता है तो कर्मचारी गारन्टेड वेज प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा।
7. जो कर्मचारी दिये गए कच्चे माल की मात्रा यद्यपि वह 5600 बीड़ियाँ सप्ताह में बनाने के लिए पर्याप्त हो कि पूर्ण रूप से उपभोग नहीं कर पाता है तो वह गारंटी वेज प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा।
8. आग, विपत्ति महामारी, असैनिक क्षौभ या इसके समान अन्य स्थिति में जो नियोजक के नियंत्रण के बाहर है, यदि नियोजक कर्मचारी को कच्चा माल नहीं दे पाता तो कर्मचारी वेज प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा।


(आर० शंगीता)

श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़, रायपुर

खण्ड-तीन, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

Website-www.cglabour.nic.in, E-Mail ID- com-labour.cg@gov.in, ☎ No. 0771-2443513,14,15,16

क्रमांक / आठ / न्यूवे० / श्र०आ० / 2018 / 8007,

रायपुर, दिनांक 06.10.2018

प्रतिलिपि :-

1. उप नियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय, राजनांदगांव (छत्तीसगढ़) की ओर अधिसूचना की प्रति भेजते हुए निवेदन है कि इस अधिसूचना को (छत्तीसगढ़) राजपत्र के आगामी अंक के भाग 3(1) में प्रकाशित कर 20 प्रति इस कार्यालय का उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग, रायपुर की ओर उनके पत्र क्र० / 303 / आर / 577 / 97 / नि-514, दिनांक 30.06.1992 के संदर्भ में मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
4. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग, स्थापना अधीक्षण, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
5. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन ऊर्जा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
6. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
7. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
8. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन गृह, एवं जेल विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
9. पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़ शासन, पुलिस मुख्यालय, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
10. महानिदेशक, छत्तीसगढ़ शासन नगर सेना तथा नागरिक सुरक्षा, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
11. पुलिस महानिदेशक, जेल एवं सुधारात्मक सेवायें, रायपुर ।
12. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन लोक निर्माण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
13. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
14. सचिव, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
15. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन संस्कृति विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
16. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन संसदीय कार्य विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, जिला-रायपुर ।

17. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन जल संसाधन, आयाकट विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
18. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
19. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन व प्रौद्योगिकी विभाग, मंत्रालय रायपुर ।
20. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
21. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि, पशुपालन, मछलीपालन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
22. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
23. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
24. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
25. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
26. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन विधि एवं विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
27. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
28. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन सहकारिता, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
29. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन जन शिकायत निवारण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
30. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
31. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन परिवहन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
32. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन जनसंपर्क विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
33. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
34. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
35. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन खेल एवं युवा कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, जिला-रायपुर ।

36. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
37. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकीय विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
38. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन विमानन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
39. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन पर्यटन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
40. विकास आयुक्त, विकास भवन, सिविल लाईन रायपुर ।
41. महालेखाकार प्रथम एवं द्वितीय, जीरो प्वाइंट, विधानसभा के पास, बलौदाबाजार रोड, रायपुर ।
42. नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन, इंद्रावती भवन, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
43. आयुक्त, परिवहन विभाग, इंद्रावती भवन, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
44. कृषि उत्पादन आयुक्त, रायपुर ।
45. आयुक्त, जनसंपर्क विभाग, इंद्रावती भवन, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
46. संचालक, ग्रामोद्योग, रेशम, हाथकरघा, रायपुर ।
47. राहत आयुक्त, रायपुर ।
48. आयुक्त एवं अध्यक्ष हसदेव आयाकट विकास प्राधिकरण, रायपुर ।
49. आयुक्त, महिला एवं बाल विकास विभाग, इंद्रावती भवन, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
50. आयुक्त, स्थानीय निधि संपरीक्षा, इंद्रावती भवन, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
51. नियंत्रक, नाप-तौल, इंद्रावती भवन, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
52. आयुक्त, खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण, इंद्रावती भवन, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
53. आयुक्त, वाणिज्यिक, रायपुर ।
54. विभागाध्यक्ष, मुख्य तकनीकी परीक्षक (सतर्कता) रायपुर ।
55. महानिदेशक विभागाध्यक्ष, छ0ग0 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् रायपुर ।
56. आयुक्त, लोक शिक्षण एवं सर्वशिक्षा अभियान, इंद्रावती भवन, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
57. संचालक, विमानन, इंद्रावती भवन, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
58. आयुक्त, आदिवासी विकास एवं आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर ।
59. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़, जेल रोड रायपुर ।
60. आयुक्त, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, बस्तर, सरगुजा राजस्व संभाग, ।
61. सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
62. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, पुराना मंत्रालय के सामने रायपुर ।
63. सचिव, राज्य महिला आयोग, रायपुर ।
64. सचिव, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, कलेक्ट्रेट के पीछे, रायपुर ।
65. सचिव, अनुसूचित जाति आयोग, रायपुर ।

66. सचिव, अनुसूचित जनजाति आयोग, रायपुर।
67. सचिव, अल्पसंख्यक आयोग, रायपुर।
68. सचिव, बाल अधिकार संरक्षण अयोग, रायपुर।
69. सचिव, राज्य युवा आयोग, रायपुर।
70. सचिव, राज्य लोक सेवा आयोग, रायपुर।
71. सचिव, राज्य विद्युत नियामक आयोग, रायपुर।
72. संचालक प्रशासन अकादमी, धमतरी रोड, ग्राम-निमोरा, रायपुर।
73. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, जिला-रायपुर।
74. सचिव, राजस्व मण्डल, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ।
75. संचालक, पंचायत विभाग, इंद्रावती भवन, अटल नगर, जिला-रायपुर।
76. संचालक, उद्यानिकी, इंद्रावती भवन, अटल नगर, जिला-रायपुर।
77. संचालक, संपदा, इंद्रावती भवन, अटल नगर, जिला-रायपुर।
78. संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, इंद्रावती भवन, अटल नगर, जिला-रायपुर।
79. संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, विकास भवन रायपुर।
80. संचालक, उद्योग, उद्योग भवन, रायपुर।
81. संचालक, संस्कृति एवं पुरातत्व, महंत घासीदास संग्रहालय, रायपुर।
82. पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, इंद्रावती भवन, अटल नगर, जिला-रायपुर।
83. आयुक्त, पेंशन कोष एवं लेखा, इंद्रावती भवन, अटल नगर, जिला-रायपुर।
84. संचालक, लोक अभियोजन, इंद्रावती भवन, अटल नगर, जिला-रायपुर।
85. पुलिस महानिरीक्षक, राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण एवं एन्टी करप्शन ब्यूरो रायपुर।
86. संचालक, राज्य फोरेंसिक लैब, रायपुर।
87. आयुक्त, खेल एवं युवा कल्याण, रायपुर छत्तीसगढ़।
88. आयुक्त, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) इंद्रावती भवन, अटल नगर, जिला-रायपुर (छ0ग0)।
89. आयुक्त, विभागीय जांच, पुराना मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, जिला-रायपुर।
90. संचालक, शासकीय मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, इंद्रावती भवन, अटल नगर, जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़।
91. संचालक, राष्ट्रीय कैडेट कोर, छत्तीसगढ़ रायपुर।
92. संचालक, सैनिक कल्याण, रायपुर, छत्तीसगढ़।
93. संचालक, मेडिकोलीगल संस्थान, रायपुर, छत्तीसगढ़।
94. संचालक, कृषि विभाग, रायपुर, छत्तीसगढ़।
95. संचालक, कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएँ, रायपुर, छत्तीसगढ़।

96. संचालक, राज्य कृषक प्रशिक्षण अकादमी, रायपुर, छत्तीसगढ़।
97. प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, इंद्रावती भवन, अटल नगर, जिला-रायपुर।
98. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, रायपुर।
99. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, रायपुर।
100. परि.प्रशासक, कार्यालय मुख्य अभियंता एवं अध्यक्ष, महानदी आयाकट विकास प्राधिकरण, रायपुर।
101. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, छत्तीसगढ़ रायपुर।
102. संचालक, आयुष, छत्तीसगढ़ रायपुर।
103. संचालक, मत्स्योद्योग, छत्तीसगढ़ रायपुर।
104. संचालक, जनगणना निदेशालय रायपुर।
105. संचालक रोजगार एवं प्रशिक्षण, इंद्रावती भवन, अटल नगर, जिला-रायपुर।
106. संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं एवं मिशन संचालक राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन मंत्रालय के पास।
107. संचालक पशुचिकित्सा सेवाएं, इंद्रावती भवन, अटल नगर, जिला-रायपुर।
108. समस्त जिलाध्यक्ष, छत्तीसगढ़।
109. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, छत्तीसगढ़।
110. पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं, इंद्रावती भवन, अटल नगर, जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़।
111. अधीक्षण अभियंता (विद्युत सुरक्षा) एवं मुख्य विद्युत निरीक्षक, रायपुर, छत्तीसगढ़।
112. प्रभारी मुख्य तकनीकी परीक्षक, रायपुर, छत्तीसगढ़।
113. उप संचालक, राजभाषा, रायपुर छत्तीसगढ़।
114. आयुक्त, अल्प बचत एवं राज्य लाटरी, रायपुर।
115. मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, रायपुर, छत्तीसगढ़।
116. संचालक, अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण, रायपुर छत्तीसगढ़।
117. प्रभारी अधीक्षक, स्टेट गैरेज, रायपुर, छत्तीसगढ़।
118. पंजीयक, राज्य औद्योगिक न्यायालय, छत्तीसगढ़, रायपुर।
119. समस्त पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, रायपुर क्रमांक-1 एवं 2, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, अम्बिकापुर, जगदलपुर, धमतरी, जांजगीर-चांपा।
120. कुल सचिव, गुरु घासीदास केन्द्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर छत्तीसगढ़।
121. कुल सचिव, पं० रविशंकर विश्वविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़।
122. कुल सचिव, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़, छत्तीसगढ़।
123. कुल सचिव, कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय, रायपुर छत्तीसगढ़।
124. कुल सचिव, पं० सुन्दर लाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
125. कुल सचिव, बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर, छत्तीसगढ़।

126. कुल सचिव, सरगुजा विश्वविद्यालय अंबिकापुर छत्तीसगढ़।
127. कुल सचिव, स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई, छत्तीसगढ़।
128. कुल सचिव, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़।
129. कुल सचिव, आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़।
130. कुल सचिव, हिदायतउल्ला नेशनल लॉ विश्वविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़।
131. सचिव, उत्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण, रायपुर, छत्तीसगढ़।
132. सचिव, बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण, रायपुर, छत्तीसगढ़।
133. सचिव, राज्य अनुसूचित जाति प्राधिकरण, रायपुर, छत्तीसगढ़।
134. सचिव, राज्य ग्रामीण विकास प्राधिकरण, रायपुर, छत्तीसगढ़।
135. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, वनौषधि बोर्ड, रायपुर, छत्तीसगढ़।
136. प्रबंध संचालक, राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम, रायपुर, छत्तीसगढ़।
137. प्रबंधक संचालक, राज्य कृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड, रायपुर, छत्तीसगढ़।
138. पंजीयक, राज्य सहकारी विपणन बोर्ड, रायपुर, छत्तीसगढ़।
139. प्रबंधक संचालक, राज्य वन विकास निगम, रायपुर, छत्तीसगढ़।
140. प्रबंधक संचालक, नागरिक आपूर्ति निगम, रायपुर, छत्तीसगढ़।
141. प्रबंधक संचालक, अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम मर्यादित, रायपुर, (छ0ग0)।
142. कार्यपालन अधिकारी, राज्य वक्फ बोर्ड, रायपुर, छत्तीसगढ़।
143. सचिव, मदरसा बोर्ड, रायपुर, छत्तीसगढ़।
144. कार्यपालन अधिकारी, राज्य हज कमेटी, रायपुर, छत्तीसगढ़।
145. नियंत्रक, व्यवसायिक परीक्षा मण्डल, रायपुर, छत्तीसगढ़।
146. प्रबंध संचालक, पर्यटन मंडल, रायपुर, छत्तीसगढ़।
147. प्रबंध संचालक, राज्य भण्डार गृह निगम, रायपुर, छत्तीसगढ़।
148. आयुक्त, गृह निर्माण मण्डल, रायपुर, छत्तीसगढ़।
149. प्रबंध संचालक, राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर, छत्तीसगढ़।
150. प्रबंध संचालक, पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर।
151. प्रबंध संचालक, छ0ग0 राज्य हथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्यादित छ0ग0 खादी ग्रामोद्योग न्यू राजेन्द्र नगर रायपुर।
152. प्रबंध संचालक सी.एस.आई.डी.सी. रायपुर।
153. प्रबंध संचालक, कार्यालय छ0ग0 स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन पंडरी रायपुर।
154. कार्यपालिक निदेशक छ0ग0 राज्य बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण रायपुर।
155. मुख्य कार्यपालन अधिकारी छ0ग0 राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण रायपुर।
156. प्रबंध संचालक, छ0ग0 हस्तशिल्प विकास बोर्ड रायपुर।
157. प्रबंध संचालक आयुक्त छ0ग0 इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्लपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर।

158. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, न्यू रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
159. सचिव, छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्यामण्डलम्, रायपुर ।
160. उप मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय), रायपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
161. क्षेत्रीय निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर ।
162. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, भविष्य निधि संगठन क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर ।
163. इंडियन एयरलाइन्स लिमिटेड, जीवन प्रकाश, जीवन बीमा मार्ग, पंडरी, रायपुर ।
164. समस्त उप श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़, रायपुर ।
165. संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, छत्तीसगढ़ रायपुर ।
166. सचिव, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, रायपुर ।
167. कल्याण आयुक्त, श्रम कल्याण मंडल, छत्तीसगढ़, रायपुर ।
168. सहायक श्रमायुक्त- रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़ ।
169. श्रम पदाधिकारी-राजनांदगांव, धमतरी, जगदलपुर, जांजगीर-चांपा, महासमुंद, अम्बिकापुर, कवर्धा, बालोद, बलौदाबाजार, कोण्डागांव, गरियाबंद, कांकेर, मुंगेली, दंतेवाड़ा, जशपुर, सूरजपुर, बेमेतरा, कोरिया, नारायणपुर, सुकमा, बीजापुर, बलरामपुर ।
170. प्रभारी अधिकारी, समस्त शाखाएँ, कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
171. उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़, राजनांदगांव, कोरबा एवं इण्डस्ट्रीयल हाईजिन लैब रायपुर, बलौदाबाजार, जांजगीर-चांपा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ ।
172. केन्द्र निदेशक, आकाशवाणी केन्द्र, रायपुर की ओर निःशुल्क प्रसारणार्थ ।
173. केन्द्र अभियंता दूरदर्शन अनुरक्षण केन्द्र रायपुर की ओर निःशुल्क प्रसारणार्थ ।
174. संचालक, जनसम्पर्क छत्तीसगढ़, रायपुर की ओर छत्तीसगढ़ के समस्त दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशनार्थ अग्रेषित ।


(आर० शंगीता)

श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़, रायपुर

खण्ड-03, द्वितीय तल, इंद्रावती भवन, अटल नगर, जिला-रायपुर (छ0ग0)

E-Mail ID- cglc2012@gmail.com, ☎ No.-0771-2443514, Fax No.-0771-2443516

क्रमांक/आठ/न्यूवे0/श्र.आ./2018/8008,

दिनांक- 06.10.2018

प्रति,

.....
.....
.....
.....

विषय :- दिनांक 01.10.2018 से 31.03.2019 तक प्रभावशील न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की दरें।

--000--

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत दिनांक 01.10.2018 से न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की दरें निर्धारित की गई है, जिसकी पुस्तिका संलग्न प्रेषित है। उपरोक्त न्यूनतम मजदूरी की दरें श्रम विभाग की वेबसाईट www.cglabour.nic.in पर भी उपलब्ध है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।


(डी0पी0 सिवासी)

सहायक श्रमायुक्त

कार्यालय श्रमायुक्त छ0ग0, रायपुर